जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)–यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर–342003
फोन न. :0291-2742232 फैक्स न. : 0291-5106031
ईमेल :– caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक जोविविनिलि / प्र.नि. / मु.ले.नि. / राजस्व / प्रे. 137 दिनांक 26/4/22

"आदेश" 30

श्रीमान अध्यक्ष डिस्कॉमस् के आदेश क्रमांक JPD/Chairman/TA/F/D. 98 Dated 20.04.2022 के अनुसार बजट घोषणा 2022–23 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट तक है उन्हें शून्य राशि के विद्युत बिल जारी किए जाएगें अर्थात् विद्युत चार्ज, स्थायी शुल्क, विद्युत कर आदि, राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। इसके अलावा वे उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है उन्हें 50 यूनिट तक बिजली बिना विद्युत चार्ज के उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वे उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 150 यूनिट तक है, उन्हें विद्युत टैरिफ में रु. 3.00 प्रति यूनिट एवं जिनका मासिक विद्युत उपभोग 150 – 300 यूनिट तक है, रु. 2.00 प्रति यूनिट तक उन्हें टैरिफ में अनुदान दिया जाएगा।

वर्तमान में मीटर पठन का कार्य फीडर इन्चार्ज / मीटर रीडर द्वारा किया जा रहा है तद्नुसार बिल बनाए जा रहे हैं। फीडर इन्चार्ज / मीटर रीडर बिल पॉईन्ट पैरामीटर की बजाय वास्तविक टाईम (Real Time) की मीटर रीडिंग ले रहे हैं (वर्तमान का kWh)। जिसके फलस्वरूप रीडिंग की दिनांक के अनुसार बिल या तो 1 माह से कम या 1 माह से ज्यादा के बन रहे हैं। जिससे उपभोक्ताओं में भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्यों कि बिल आनुपातिक रूप से बनाए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को लगता है कि उन्हें बजट घोषणा के अन्तर्गत होने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। बजट घोषणा के देय लाभ को सुनिश्चित् करने के लिए मीटर रीडिंग 30 दिवस (मासिक बिलिंग के लिए 1 माह) और 60 दिवस (द्विमासिक बिलिंग के लिए 2 माह) में ली जानी चाहिए। वर्तमान में ज्यादातर उपभोक्ता परिसर में बिल पॉईन्ट पैरामीटर की विशेषता वाले विद्युत मीटर, जो kWh एवं kW/kVA दर्शाते हैं, लगे हुए हैं।

उपरोक्त मामले में यह निर्देशित किया जाता है कि बिल माह जून– 2022 से kWh एवं kW/kVA की बिल पॉईन्ट मीटर रीडिंग अनिवार्य रूप से लेकर तद्नुसार बिल जारी करवाना सुनिश्चित् करें। कुछ स्थानों पर ऐसे भी मीटर हो सकते हैं जिनमें बिल पॉईन्ट पैरामीटर की विशेषता ना हो, ऐसी स्थिति में फीडर इन्चार्ज / मीटर रीडर को उन उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे ताकि मीटर परिवर्तन आदेश जारी किया जा सके।

समस्त कनिष्ठ अभियन्ता यह सुनिश्चित् करेंगे कि उपरोक्त आदेशानुसार बिलिंग माह से पूर्व माह की प्रथम दिनांक की रीडिंग लेना प्रत्येक फीडर इन्चार्ज / मीटर रीडर को पूर्ण रूप से समझा दिया जाए ताकि मासिक बिलिंग हेतु माह की प्रथम से अन्तिम दिवस (1 माह) व द्विमासिक बिलिंग हेतु माह की प्रथम से द्वितीय माह की अन्तिम दिवस (60 दिन) का उपभोग दर्ज हो सके। उनसे आदेश की प्रति लेना भी सुनिश्चित् करें। इसके

पश्चात् लेखाधिकारी उनके वृत के समस्त सहायक राजस्व अधिकारी से प्रत्येक फीडर इन्चार्ज/मीटर रीडर द्वारा प्राप्ति रसीद के हस्ताक्षरित सूची संकलित कर मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) कार्यालय को इस आदेश दिनांक से 3 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित् करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (जो.जो./बा.जो./बी.जो.), जोधपुर डिस्कॉम, ...
3. श्रीमान् प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (   ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
5. श्रीमान् वरिष्ठ लेखाधिकारी (जो.जो./बा.जो./बी.जो.), जोधपुर डिस्कॉम, ...
6. श्रीमान् लेखाधिकारी (   ), जोधपुर डिस्कॉम, ...

प्रबन्ध निदेशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।